रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 1993/श्रावण 4, 1915
No. 441] NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 1993/SRAVANA 4, 1915

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

का० आ० 546 (ई).—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी० एफ० सी० एल० गढ़ेपन से सेमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाइन परियोना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन, खेडली फाटक, कोटा-324001 राजस्थान में दर्ज करा सकता है।

और ऐसा आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गढ़ेपान—सेमकोर गैस पाइप लाइन

ग्राम : गढ़ेपान तहसील : दीगोद जिला : कोटा (राज०)

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल		वि० विवरण
		एयर	वर्ग मी०	
गढ़ेपान	355	11	32	
योग।	1	11	31	

[सं० ओ० 14016/2/93-जी पी]

संजीव महर्षि, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O 546(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L.Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Anand Bhawan, Khedli Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GADEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village : Gadepan Teshil : Digod Dist. Kota
State : Rajasthan

Name of Village	Khasra No.	Area		Remarks
		Are	Sq. Mtr.	
Gadepan	335	11	32	
	1	11	32	

[No. O-14016|2|93|GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

का० आ० 547 (ई).—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी० एफ० सी० एल० गढ़ेपन से सेंमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्तता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ;

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्तता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्तता का अधिकार ग्रहण करने का अपना यह घोषणा करती है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन, खेडली फाटक कोटा-324001 राजस्थान में दर्ज करा सकता है ।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है ।

अनुसूची

गढ़ेपन—सेमकोर गैस पाइप लाइन

गांव : पाचड़ा की झोपड़िया तहसील : डीगोद जिला : कोटा (राज०)

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल		वि० विवरण
		एयर	वर्ग मी०	
पाचड़ा की झोपड़िया	35	0	40	
	56	8	40	
	38	6	40	
	39	6	00	
	64	0	40	
	65	6	00	
	71	0	80	
	83	2	00	
	140	9	20	
	141	5	30	
	143	12	00	
	144	0	50	
	148	4	40	
	149	1	00	
	153	2	20	
	161	0	20	
	162	0	70	
	163	1	80	
	165	0	50	
	166	9	20	
	167	12	00	
	168	2	00	
	169	9	80	
	171	2	00	
	178	1	00	
	160/315	0	20	
योग : किता	26	1,16	40	

छब्बीस किता एक हेक्टेयर सोलह एयर चालीस वर्ग मीटर

[सं० ओ०-14016/2/93-जी पी]

संजीव महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O 547(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L.Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum, and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User

in the Land) Act 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Anand Bhawan Khedli Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GADEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village · Pachra ki Jhopdiya Tehsil · Digod

Dist. - Kota State Rajasthan

Name of Village	Khasra No.	Area		Remarks
		Are	Sq. Mtr.	
Pachra ki Jhopdiay	35	0	40	
-do-	36	8	40	
-do-	38	6	40	
-do-	39	6	00	
-do-	64	9	40	
-do-	65	9	00	
-do-	71	0	80	
-do-	83	2	00	
-do-	140	9	20	
-do-	141	5	30	
-do-	143	12	00	
-do-	144	0	50	
-do-	148	4	40	
-do-	149	1	00	
-do-	153	2	20	
-do-	161	0	20	
-do-	162	0	70	
-do-	163	1	80	
-do-	165	0	60	
-do-	166	9	20	
-do-	167	12	00	
-do-	168	2	00	
-do-	169	9	80	
-do-	173	2	00	
-do-	178	1	00	
-do-	160/315	0	20	
	26	1,16	40	

No. Twenty six Area One hectare 16 are fourty sq. mtr.

[No. O-14016/2/93/GP]

RAJIV MEHRISHI, Directot

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

का.आ. 548(ई).—चूंकि केन्द्र सरकार अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी.एफ.सी.एल. गदेपन से सेमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाईन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाईन गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ।

अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन खेडली फाटक कोटा-324001 राजस्थान में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गदेपान—सेमकोर गैस पाइप लाईन

ग्राम : पाचड़ा तहसील : दीगोद जिला : कोटा (राज.)

नाम ग्राम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल		कि. विवरण
		एयर	वर्ग मी.	
पाचड़ा	7	18	00	
,,	9	0	40	
,,	13	08	82	
,,	14	01	30	
,,	16	03	00	
,,	17	03	00	
,,	20	02	80	
,,	21	04	00	
,,	34	04	60	
,,	25	04	40	
,,	26	03	60	
,,	27	05	40	
,,	29	01	40	
,,	30	31	02	
,,	291	02	89	
,,	7/335	37	25	
योग :	कित 16	1,31	88	

अक्षरे : कित सोलह रकबा एक हेक्टेयर इकत्तीस एयर अठासी वर्ग मीटर

[सं. ओ०-14016/2/93-जीपी]

राजीव मेहरि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 548(E).—Whereas it appears tothe Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L.Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appear that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by the sections (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd Anand Bhawan Khedli Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wisher to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GADEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village : Pachra Tehsil : Digod Dist : Kota

State : Rajasthan

Name of Village	Khasra No.	Area		Remarks
		Are	Sq. Mtr.	
Pachra	7	18	00	
-do-	9	0	40	
-do-	13	8	82	
-do-	14	1	30	
-do-	16	3	00	
-do-	17	3	00	
-do-	20	2	80	
-do-	21	4	00	
-do-	24	4	60	
-do-	25	4	40	
-do-	26	3	50	
-do-	27	5	40	
-do-	29	1	40	
-do-	30	31	02	
-do-	291	02	89	
-do-	7/535	37	25	
	16	1,31	88	

[No. O-14016|2|93|GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

का.आ. 549(ई).—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी.एफ.सी.एल. गदेपन से सेमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाईन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाईन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाईन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन, खेडली फाटक, कोटा-324001 राजस्थान में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गदेपन—सेमकोर गैस पाइप लाइन

ग्राम : बल्लभपुरा तहसील : दीगोद जिला : कोटा (राज.)

गांव ग्राम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल		वि. विवरण
		एयर	वर्ग मी.	
बल्लभपुरा	25	8	80	
,,	26	8	03	
,,	27	9	60	
,,	29	12	80	
,,	30	4	70	
,,	31	1	21	
,,	32	13	60	
,,	33	0	78	
,,	52	13	67	
,,	77	0	80	
,,	78	10	00	
,,	79	0	50	
,,	81	0	50	
,,	126	3	60	
,,	129	0	50	
,,	130	6	50	
,,	131	0	60	
,,	132	0	60	
,,	133	5	40	
,,	134	2	40	
,,	135	0	50	
,,	136	10	79	
,,	138	2	40	

1	2	3	4
बल्लभपुरा	144	19	89
,,	183	0	40
,,	186	3	20
,,	189	9	00
,,	190	0	50
,,	191	8	60
,,	192	2	40
,,	198	13	20
,,	130/391	2	40
,,	129/403	0	60
,,	32/406	10	80
,,	33/407	10	00
योग—	35	1,99	27

पैंतीस किता एक हेक्टेयर निन्यानवे एयर सत्ताईस वर्गमीटर

[सं. ओ०-14016/2/93-जी पी]

राजीव महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 549(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L.Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by the sections (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Anand Bhawan Khedli Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also stete specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GADEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village : Ballabhpura Tehsil : Digod

Dist. : Kota State : Rajasthan

Name of Village	Khasra No.	Area		Remarks
		Are	Sq.Mtr.	
Ballabhpura	25	8	80	
,,	26	8	03	
,,	27	9	60	
,,	29	12	80	
,,	30	4	70	
,,	31	1	21	
,,	32	13	60	
,,	33	0	78	
,,	52	13	67	
,,	77	0	80	
,,	78	10	00	
,,	79	0	50	
,,	81	0	50	
,,	126	3	60	
,,	129	0	50	
,,	130	6	50	
,,	131	0	60	
,,	132	0	60	
,,	133	5	40	
,,	134	2	40	
,,	135	0	50	
,,	136	10	79	
,,	138	2	40	
,,	144	19	89	
,,	183	0	40	
,,	186	3	20	
,,	189	9	00	
,,	190	0	50	
,,	191	8	60	
,,	192	2	40	
,,	198	13	20	
,,	130/391	2	40	
,,	129/403	0	60	
,,	32/406	10	80	
,,	32/407	10	00	
	35	1,99	27	

[No. O-14016|2|93|GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

का.आ. 550(ई).—जबकि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पैट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी.एफ.सी.एल. गदेपन से सेंमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाईन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाईन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करता है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार अर्जन करना आवश्यक है ।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाईन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार अर्जन करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन खेडली फाटक, कोटा-324001, राजस्थान में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायी के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गढ़ेपन—सेमकोर गैस पाइप लाइन

ग्राम : भोंरा तहसील : दीगोद जिला : कोटा (राज.)

नाम : ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल एयर	वर्ग मी	वि. विवरण
भोंरा	156	12	20	
,,	159	3	31	
,,	165	6	30	
,,	166	4	40	
,,	167	2	00	
,,	170	7	00	
,,	201	2	40	
,,	204	4	60	
,,	205	7	20	
,,	206	7	00	
,,	208	6	84	
,,	209	0	60	
,,	233	3	29	
,,	474	21	46	
,,	486	0	50	
,,	495	13	50	
,,	498	21	40	
,,	500	20	10	
,,	503	11	20	
,,	506	0	80	
,,	607	0	60	
,,	494/617	5	20	
,,	587/623	10	00	
,,	485/587	20	00	
कुल योग किता 25		21,11	63	

किता पच्चीस रकबा दो हेक्टेयर इक्कीस एयर तिरेसठ वर्ग मीटर

[सं. ओ-14016/2/93-जी पी]

राजीव महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 550(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L.Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Anand Bhawan Khedli Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GADEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village : Bhonra Tehsil : Digod Dist : Kota

State : Rajasthan

Name of Village	Khasra No.	Area Are Mtr	Area Sq. Mtr	Remarks
Bhonra	156	12	20	
,,	159	3	31	
,,	165	6	30	
,,	166	4	40	
,,	167	2	00	
,,	170	7	00	
,,	201	2	40	

1	2	3	4
Bhonra	204	4	60
,,	205	7	20
,,	206	2	00
,,	208	6	84
,,	209	0	60
,,	233	3	29
,,	474	21	46
,,	486	0	50
,,	495	13	50
,,	498	21	40
,,	500	20	10
,,	503	11	20
,,	506	9	80
,,	507	0	60
,,	494/617	5	20
,,	587/623	16	03
,,	500/625	10	00
,,	485/587	20	00
	25	2,11	63

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1993

एस. ओ. 551(ई)—चूंकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थों एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी. एच. सी. एल. मदेपल से सेमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार अर्जन करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन श्रेष्ठनी फाटक कोटा-324001 राजस्थान में दर्ज कर सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

मदेपल – सेमकोर गैस पाइप लाइन

ग्राम : सीमल्या तहसील : सीसोद जिला : कोटा (राज०)

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल एकर	वर्ग मी.
सीमल्या	612	2	40
,,	614	13	20
,,	615	18	30
,,	621	6	80
,,	628	3	80
,,	629	14	00
,,	646	0	40
,,	761	2	80
,,	762	1	70
,,	763	4	80
,,	768	12	00
,,	769	1	40
,,	771	0	50
,,	777	2	60
,,	778	14	40
,,	830	5	20
,,	832	4	50
,,	834	1	50
,,	852	8	60
,,	859	11	20
,,	864	5	80
,,	887	4	30
,,	888	1	60
,,	889	8	50
,,	890	4	40
,,	891	14	40
,,	900	10	20
,,	901	9	10
,,	904	5	20
,,	906	13	40
,,	907	13	20
,,	914	2	40
,,	863/937	5	00
,,	842/941	28	00
,,	842/940	10	90
,,	627/875	0	50
,,	628/876	2	00
योग :	12	1,14	30
पिछला :	25	1,55	30
कुल जिला :	37	2,69	60

सी हेक्टेयर जनहत्तर एकर साठ वर्ग मीटर

[सं ओ०-14016/2/93-जी पी]

राजीव महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 551(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L.Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appear that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Anand Bhawan Khedli Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GADEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village : Simaliya Tehsil : Digod Dist : Kota

State : Rajasthan

Name of Village	Kahsra No.	Area		Remarks
		Are	Sq. Mtr.	
1	2	3	4	5
Simaliya	612	2	40	
,,	614	13	20	
,,	615	18	30	
,,	621	6	80	
,,	628	3	80	
,,	629	14	00	
,,	646	0	40	
,,	761	2	80	
,,	762	1	70	
,,	763	4	80	
,,	768	12	00	
,,	769	1	40	
,,	771	0	50	
,,	777	2	90	
,,	778	14	40	
,,	830	5	20	
,,	832	4	80	
,,	834	1	50	
Simaliya	852	8	60	
,,	859	11	20	
,,	864	5	80	
,,	887	4	30	
,,	888	1	60	
,,	889	8	50	
,,	890	4	40	
,,	891	14	40	
,,	900	10	20	
,,	901	9	10	
,,	904	5	20	
,,	906	13	40	
,,	907	13	20	
,,	914	2	40	
,,	863/937	5	00	
,,	842/941	28	00	
,,	842/940	10	90	
,,	627/975	0	50	
,,	628/976	2	00	
	37	2,69	60	

[No. O-14016|2|93|GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

एस.ओ. 552(ई):—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी. एफ. सी. एल. गदेपन से सेंमकार ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाइन परियोजना अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन, खेडली फाटक, कोटा-324001 राजस्थान में दर्ज करा सकता है ।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है ।

अनुसूची

गड़ेपान—सेमकोर गैस पाइप लाइन

ग्राम : करादिया तहसील : दीगोद जिला : कोटा (राज.)

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल एयर	वर्गमी.	नि. विवरण
करादिया	168	8	30	
,,	169	11	50	
,,	188	1	00	
,,	189	11	00	
,,	190	13	90	
,,	193	6	40	
,,	197	22	10	
,,	206	--	60	
,,	207	--	70	
,,	208	3	00	
,,	218	3	50	
,,	266	5	90	
,,	267	7	30	
,,	271	4	20	
,,	272	0	70	
,,	273	2	40	
,,	298	0	70	
,,	334	17	40	
,,	335	2	30	
,,	336	3	70	
,,	337	3	30	
,,	338	0	40	
,,	339	4	30	
,,	460	10	40	
,,	467	0	41	
,,	468	1	60	
,,	470	8	10	
,,	471	0	45	
,,	478	12	20	
,,	479	14	20	
,,	482	9	60	
,,	489	12	00	
,,	490	1	20	
,,	492	7	50	
,,	493	8	30	
,,	494	1	20	
,,	520	0	40	
,,	533	4	20	
,,	534	5	50	
,,	535	11	40	
,,	536	1	50	
,,	538	10	72	
,,	539	2	90	
योग :	18	1,12	97	
ग्राम का योग :	43	2,58	38	

कितां 43 रकबा : दो हेक्टेयर अट्ठावन एयर अड़तीस वर्ग मीटर

[सं. ओ-14016/2/93 जी पी]

राजेश महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 552(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L.Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears thot for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquiition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Anand Bhawan Khedli Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GADEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village : Karadiya Tehsil : Digod Dist : Kota (Rajasthan)

Name of village	Khasra	Area		Remarks
		Are	SQ. MTR	
1	2	3	4	5
Karadiya	168	8	30	
,,	169	11	50	
,,	188	1	00	
,,	189	11	00	
,,	190	13	90	
,,	193	6	40	
,,	197	22	10	
,,	206	—	60	
,,	207	—	70	
,,	208	3	00	
,,	218	3	50	
,,	266	5	90	
,,	267	7	30	
,,	271	4	20	
,,	272	0	70	
,,	273	2	40	
,,	298	0	70	
,,	334	17	40	
,,	335	2	30	
,,	336	3	70	

1	2	3	4	5
Karadiya Contd.	337	3	30	
,,	338	0	40	
,,	339	4	30	
,,	460	10	40	
,,	467	0	41	
,,	468	1	60	
,,	470	8	10	
,,	471	0	45	
,,	478	12	20	
,,	479	14	20	
,,	482	9	60	
,,	489	12	00	
,,	490	1	20	
,,	492	7	50	
,,	493	8	30	
,,	494	1	20	
,,	520	0	40	
,,	533	4	20	
,,	534	5	50	
,,	535	11	40	
,,	536	1	50	
,,	538	10	72	
,,	539	2	90	
	43	298	38	

[No. O-14016|2|93|GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

एस. ओ. 553(ई):—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी. एफ. सी. एल. गदेपन से केमकोर प्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ।

और यह भी अनुभव करती है कि उक्त कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निम्नांकित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड आनन्द भवन खेडली फाटक कोटा 324001 राजस्थान में दर्ज कर सकता है ।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है ।

अनुसूची

गड़ेपान—केमकोर गैस पाइपलाइन

ग्राम : पोलाईकलां तहसील : दीगोद जिला : कोटा (राज.)

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टर	एयर वर्ग मी.	वि. विवरण
1	2	3	4	5
पोलाईकलां	132	04	30	
,,	33	05	50	
,,	134	0	25	
,,	58	0	40	
,,	159	14	00	
,,	162	12	20	
,,	163	09	30	
,,	175	00	80	
,,	176	07	60	
,,	330	11	90	
,,	364	10	50	
,,	365	0	80	
,,	366	07	70	
,,	369	0	60	
,,	370	11	30	
,,	371	02	80	
,,	374	23	60	
,,	377	03	80	
,,	380	18	20	
,,	535	10	00	
,,	536	05	10	
,,	538	08	20	
,,	540	04	70	
,,	543	0	40	
,,	544	05	20	
,,	545	00	70	
,,	549	0	40	
,,	603	0	40	
,,	608	10	00	
,,	609	10	40	
,,	610	03	40	
,,	611	01	57	
,,	619	02	00	
,,	620	02	10	
,,	621	0	37	
,,	634	0	50	
,,	635	06	60	
,,	638	05	50	
,,	638	03	41	
,,	639	01	00	
,,	640	03	70	
,,	641	05	50	
,,	643	0	60	
,,	644	12	80	
,,	646	0	90	
,,	647	8	20	
,,	650	10	00	
,,	651	02	90	

1	2	3	4	5
पोलाईकलां	667	01	00	
"	668	08	30	
"	669	05	80	
"	670	01	80	
"	667/724	01	00	
"	540/726	03	00	
"	378/731	15	32	
"	377/759	03	80	
"	16	84	62	
ग्राम का योग : किता	56	3,12	92	

किता : छेत्रफल रकबा : तीन हेक्टेयर बारह एयर बानवे वर्ग मीटर

[सं. O-14016/2/93 जी पी]

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 553(E).—Whereas tt appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L.Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Anand Bhawan Khedli Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GADEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village : Polai Kala Tehsil : Digod Dist : Kota State: Rajasthan

Name of Village	Khasra No.	Area Are	S.Q. MTR	Rem-arks
1	2	3	4	5
Polai Kala 1	32	04	80	
	133	05	50	
	134	0	25	
	158	0	40	
	159	14	00	
	162	12	20	
	163	09	30	
	175	00	80	
	176	07	60	
	330	11	90	
	364	10	50	
	365	0	80	
	366	07	70	
	369	0	60	
	370	11	30	
	371	02	80	
	374	23	60	
	377	03	80	
	380	18	20	
	535	10	00	
	536	05	40	
	538	08	20	
	540	04	70	
	543	0	40	
	544	05	20	
	545	0	70	
	549	0	40	
	603	0	40	
	608	10	00	
	609	10	40	
	610	03	40	
	611	01	57	
	619	02	00	
	620	02	10	
	621	0	37	
	634	0	50	
	635	06	60	
	636	05	50	
	638	03	41	
	639	01	00	
	640	03	70	
	641	05	50	
	643	0	60	
	644	12	80	
	646	0	90	
	647	0	20	
	650	10	00	
	651	02	90	
	667	01	00	
	668	08	30	
	669	05	80	
	670	01	80	
	667/724	01	00	
	540/726	03	00	
	378/731	15	32	
	377/759	03	80	
	56	3,12	92	

[No. O-14016/2/93/GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

एस. ओ. 554(ई):— जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी. एफ. सी. एल. गंदेपन से सेमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन खेडली फाटक कोटा-324001 राजस्थान में दर्ज करा सकता है ।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है ।

अनुसूची

गढ़ेपाम—सेनकोर गैस पाइप लाइन

ग्राम : नोहती तहसील : दीगोद जिला : कोटा

ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल एयर	वर्ग मी.	वि. वि.
नोहती	1	--	90	
"	2	13	--	
"	4	11	70	
"	5	28	40	
"	115	11	40	
"	116	6	30	
"	117	0	80	
योग	7	72	50	

[सं. O-14016/2/93 जी पी]

राजीव महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 554(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L.Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appear that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authoriy of Inia Ltd., Anand Bhawan Khedli Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GANDEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village : Nohati Dehsil : Digod Dist : Kota State : Rajasthan

Name of village	Khasra No.	Area Are	S.Q. MTR	Remarks
Nohati	1	0	90	
	2	13	00	
	4	11	70	
	5	28	40	
	115	11	40	
	116	6	30	
	117	0	80	
Total	7	72	50	

[No. O-14016/2/93/GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

एस. ओ. 555(ई):—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी. एफ. सी. एल. गंदेपन से सेमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन, खेडली फाटक, कोटा-324001, राजस्थान में दर्ज करा सकता है ।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि-व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है ।

अनुसूची

गढ़ेपान—सेमकोर गैस पाइप लाइन

ग्राम : डायरा तहसील : लाडपुरा जिला : कोटा (राज.)

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल एयर	वर्गमी.	टि. विवरण
डायरा	352	16	20	
,,	362	10	50	
,,	363	18	10	
,,	364	14	10	
,,	371	11	34	
,,	372	15	60	
,,	373	0	50	
,,	376	1	80	
,,	353/381	12	20	
ग्राम का योग:	9	100	34	

किला 9 रकबा : एक हेक्टेयर वर्गमीटर

[सं. O-11016/2/93 जी पी]

राजीव महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 555(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L.Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appear that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of User in he Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Anand Bhawan, Khedli Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GADEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village Daira Tehsil : Ladpura Dist : Kota

State : Rajasthan

Name of Village	Kh. No.	Area		Remarks
		Are	Sq. Mtrs.	
Daira	352	16	20	
	362	10	50	
	363	18	10	
	364	14	10	
	371	11	34	
	372	15	60	
	373	0	50	
	376	1	80	
	353/381	12	20	
Total	9	100	34	

[No. O-14016/2/93/CP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

एस. ओ. 556(ई):—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी. एफ. सी. एल. गदेपन से सेमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन, खेडली फाटक, कोटा 0324001, राजस्थान में दर्ज करा सकता है ।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि-व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है ।

अनुसूची

गड़ेपान--सेमकोर गैस पाइप लाइन

ग्राम : गोदलिया हेड़ी तहसील : लाडपुरा जिला : कोटा (राज.)

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल एयर	वर्ग मी.	वि. विवरण
गोदलियाहेड़ी	01	01	00	
,,	03	18	50	
,,	04	01	60	
,,	05	10	20	
,,	07	07	90	
,,	06/596	05	89	
ग्राम का योग : किता :	06	45	09	

किता छः रकबा पैंतालीस एयर नो वर्ग मीटर

[सं. O-14016/2/93 जी पी]

राजीव महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 556(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L.Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appear that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Anand Bhawan, Khedli Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Gadepan-Samcor Gas Pipeline

Village : Godaliya Tehsil : Ladpura Dist : Kota

State : Rajasthan

Name of the Vill.	Kh. No	Area		Remarks
		Are	Sq. Mtr.	
Godaliya Hadi	01	01	00	
	03	18	50	
	04	01	60	
	05	10	20	
	07	07	90	
	06/596	05	89	
Total	06	45	09	

[No. O-14016|2|93|GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

एस. ओ. 557(ई).--जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी. एफ. सी. एल. गदेपन से सेमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण, अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम अधिकारी, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन, खेडली फाटक, कोटा-324001, राजस्थान में दर्ज करा सकता है ।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत चाहता है ।

अनुसूची

गढ़ेपान—सेमकोर गैस पाइप लाइन

ग्राम : मोरपा तहसील : लाडपुरा जिला : कोटा (राज.)

ग्राम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल एयर	वर्ग मी.	वि. विवरण
मोरपा	02	08	00	
"	03	06	80	
"	07	08	40	
"	09	30	80	
"	15	10	00	
"	16	07	00	
"	49	09	00	
"	50	10	70	
"	52	11	00	
"	54	12	20	
"	62	01	60	
"	63	02	60	
"	68	08	80	
"	69	08	80	
"	73	0	80	
"	74	18	30	
"	165	08	20	
"	166	16	50	
"	18/376	0	25	
"	74/388	01	37	
"	166/408	0	80	
ग्राम का योग : किता	21	1,81	92	

किता : इकतीस रकबा : एक हेक्टेयर इक्यासी एयर बानबे वर्गमीटर

[फ. O-14016/2/93/जी पी]

राजीव महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 557(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L.Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appear that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Anand Bhawan, Khedli Phatak, Kota. Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Gadepan-Samcor Gas Pipeline

Vill. Morpa Teh : Ladpura Dist : Kota (Rajasthan)

Name of Village	Kh. No.	Area Are	Sq. Mtr	Remarks
Morpa	02	08	00	
,,	03	06	80	
,,	07	08	40	
,,	09	30	80	
,,	15	10	00	
,,	16	07	00	
,,	49	09	00	
,,	50	10	70	
,,	52	11	00	
,,	54	12	30	
,,	62	01	60	
,,	63	02	60	
,,	68	08	80	
,,	69	08	80	
,,	73	0	80	
,,	74	18	30	
,,	165	08	20	
,,	166	16	50	
,,	18/376	0	25	
,,	74/388	01	37	
,,	16/308	0	80	
Total	21	1,81	92	

[No. O-14016|2|93|GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

एस. ओ. 558 (ई).—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए मो. एफ. सी. एल. गढ़ेपन से सेमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्-द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर प्रस्तावित पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन खेड़ली फाटक कोटा-324001 राजस्थान में दर्ज करा सकता है ।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है ।

अनुसूची

गढ़ेपान--सेनकोर गैस पाइप लाइन

ग्राम : अरनिया तहसील : लाडपुरा जिला: कोटा (राज.)

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल एयर	वर्गमी.	वि. विवरण
अरनिया	14	08	00	
,,	15	16	20	
,,	18	15	60	
,,	24	01	60	
,,	25	01	40	
,,	38	01	20	
,,	74	01	20	
,,	76	03	40	
,,	77	09	00	
,,	78	03	50	
,,	83	01	75	
,,	84	14	95	
,,	94	02	20	
,,	121	01	20	
,,	122	16	00	
,,	124	06	50	
,,	125	08	50	
,,	126	03	00	
,,	127	05	80	
,,	135	02	90	
,,	136	09	50	
,,	137	06	20	
,,	175	02	00	
,,	179	08	50	
,,	181	12	70	
,,	183	10	50	
,,	184	04	50	
,,	185	27	90	
,,	194	08	20	
,,	195	00	30	
ग्राम का योग :	30	214	20	

[सं. O14016/2/93/जी पी]

राजीव महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 558(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L.Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appear that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Anand Bhawan Khedli Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Gadepan-Samcor Gas Pipeline

Vill. Araniya Teh : Ladpura Dist: Kota (Rajasthan)

Name of Village	Kh. No.	Area Are	Sq. M.	Remarks
Araniya	14	08	00	
,,	15	16	20	
,,	18	15	60	
,,	24	01	60	
,,	25	01	40	
,,	38	01	60	
,,	74	01	20	
,,	76	03	40	
,,	77	09	00	
,,	78	03	50	
,,	83	01	75	
,,	84	14	95	
,,	94	02	20	
,,	121	01	20	
,,	122	16	00	
,,	124	06	50	
,,	125	08	50	
,,	126	03	00	
,,	127	05	80	
,,	135	02	90	
,,	136	09	50	
,,	137	06	20	
,,	175	02	00	
,,	179	08	50	
,,	181	12	70	
,,	183	10	50	
,,	184	04	50	
,,	185	27	90	
,,	194	08	20	
,,	195	00	30	
,,	30	214	20	

[No. O-14016|2|93|GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

का० आ० 559 (अ).—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी. एफ. सी. एल. गदेपन से सेमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य राजस्थान में पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उक्त कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार अर्जन करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार अर्जन करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन खेदली फाटक, कोटा-324001 राजस्थान में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गदेपान—सेमकोर गैस पाइप लाइन

ग्राम : रसूलपुर तहसील : लाडपुरा जिला : कोटा (राज.)

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल		वि. वि.
		एयर	वर्ग मी.	
रसूलपुर	114	00	40	
,,	115	02	00	
	116	08	60	
,,	117	02	80	
	120	02	40	
,,	121	13	60	
	132	13	50	
,,	133	01	50	
	134	01	70	
,,	156	01	10	
	246	03	80	
,,	247	04	00	
	248	00	40	
,,	251	00	70	
,,	252	13	80	
,,	260	05	20	
योग : किता	16	80	50	

[सं. O-14016/2/93-जी.पी]

राजीव मेहर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 559(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L.Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, if exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Anand Bhawan, Khedli Phatak, Kota, Rajasthan

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GADEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village Rasulpur Tehsil : Ladpura Distt Kota State : Rajasthan

Name of Village	Kh. No.	Area		Remarks
		Are.	Sq. M.	
Rasulpur	114	00	40	
	115	02	00	
	116	08	60	
	117	02	80	
	120	02	40	
	121	13	60	
	132	13	50	
	133	01	50	
	134	01	70	
	156	01	10	
	246	03	80	
	247	04	00	
	248	00	40	
	251	00	70	
	252	13	80	
	250	05	20	
Total	16	80	50	

[No. O-14016|2|93|GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

का० आ० 560(अ).—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी. एफ. सी. एल. गदेपन से सेंमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की अपनी भी घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन, खेडली फाटक, कोटा-324001 राजस्थान में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गदेपान—सेमकोर गैस पाइप लाइन

ग्राम : भोजपुरा	तहसील : लाडपुरा	जिला : कोटा (राज.)	
नाम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	वि. वि.
		एयर.	वर्ग मी.
भोजपुरा	490	00	80
"	492	13	70
"	495	00	10
"	498	15	10
"	510	11	00
"	511	06	00
"	512	01	60
"	513	06	70
"	514	01	70
"	484	04	90
"	485	06	90
योग : कितना	11	68	50

[सं. O-14016/2/93-जी. पी.]

राजीव महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 560(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L.Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Anand Bhawan, Khedli Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GODEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village : Bhojpura	Teh : Ladpura	Dist. : Kota		State : Rajasthan
Name of Village	Kh. No.	Area		Remarks
		Are	Sq. Mtr.	
Bhojpura	490	00	80	
	492	13	70	
	495	00	10	
	498	15	10	
	510	11	00	
	511	06	00	
	512	01	60	
	513	06	70	
	514	01	70	
	484	04	90	
	485	06	90	
Total	11	68	50	

[No. O-14016/2/93/GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

का. आ. 561(अ).—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी. एफ. सी. एल. गदेपन से सेंमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान, में पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आनन्द भवन खेडली फाटक कोटा-324001 राजस्थान में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज करते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गढ़ेपन—सेमकोर गैस पाइप लाईन

ग्राम : खेड़ा रसूलपुर तहसील : लाड़पुरा जिला : कोटा (राज.)

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	
		एयर	वर्ग मी.
खेड़ा रसूलपुर	41	09	20
"	44	10	00
"	45	16	60
"	53	07	00
"	55	08	20
"	58	06	70
"	59	05	50
"	61	03	10
"	99	02	40
"	119	02	60
"	120	04	90
"	130	07	80
"	131	04	30
"	135	07	00
"	136	11	80
"	138	13	60
"	140	13	60
"	141	01	00
योग : कित्ता	18	1.35	30

[सं. O-14016/2/93/जी. पी.]

राजीव महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 561(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L. Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appear that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Anand Bhawan Khedli Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GADEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village :	Tehsil :	Dist. :	State :
Khera Rasulpur	Ladpura	Kota	Rajasthan

Name of village	Kh. No.	Area		Remarks
		Are	Sq. Mtr.	
Khera Rasulpur	41	09	20	
	44	10	00	
	45	16	60	
	53	07	00	
	55	08	20	
	58	06	70	
	59	05	50	
	61	03	10	
	99	02	40	
	119	02	60	
	120	04	90	
	130	07	80	
	131	04	30	
	135	07	00	
	136	11	80	
	138	13	60	
	140	13	60	
	141	01	00	
Total	18	1.35	30	

[No. O-14016/2/93/GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

का. आ. 562 (अ).—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी. एफ. सी. एल. गदेपन से सेमकौर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन खेडली फाटक कोटा-324001 राजस्थान में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गदेपान—सेमकौर गैस पाइप लाइन

ग्राम : मन्डानिया तहसील : लाडपुरा जिला : कोटा (राज.)

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल		वि. विवरण
		एयर	वर्ग मी.	
1	2	3	4	
मन्डानिया	28	01	40	
,,	638	08	70	
,,	642	03	70	
,,	643	08	40	
,,	644	04	60	
,,	646	00	60	
,,	652	03	60	
,,	676	00	60	
,,	678	04	30	
,,	679	05	90	
,,	680	08	80	
,,	681	08	90	
,,	684	04	30	
,,	685	09	80	
,,	686	06	20	
,,	697	01	20	
,,	792	05	60	
,,	794	02	40	
,,	795	03	60	
,,	798	02	00	
,,	934	00	20	
,,	884	00	80	
,,	887	02	00	
,,	895	06	80	
,,	898	12	00	
,,	916	08	50	
,,	917	13	80	
,,	918	06	40	
,,	920	04	40	
,,	921	07	00	
,,	923	07	60	
,,	798/1163	06	00	
,,	39/1185	00	20	
योग :	33	1,70	30	

[सं. O-14016/2/93/जी. पी.]

राजीव महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 562(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L. Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appear that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Anand Bhawan Khedli Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GADEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village: Mandaniya Tehsil : Ladpura Dist. Kota (Raj.)

Name of Village	Kh. No.	Area		Remarks
		Are.	Sq. Mtr.	
Mandiniya	28	01	40	
	638	08	70	
	642	03	70	
	643	08	40	
	644	04	60	
	646	00	60	
	652	03	60	
	676	00	60	
	678	05	30	
	679	05	90	
	680	08	80	
	681	08	90	
	684	04	30	
	685	09	80	
	686	06	20	
	697	01	20	
	792	05	60	
	794	02	40	
	795	03	60	
	798	02	00	
	924	00	20	
	884	00	80	
	687	02	00	
	895	06	80	
	898	12	00	
	916	08	50	
	917	13	80	
	918	06	40	
	920	04	40	
	921	07	00	
	923	07	60	
	798/1163	06	00	
	39/1185	00	20	
Total	33	170	30	

[No. O-14016/2/93 /GP]
RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

का. आ. 563 (ई).—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी. एफ. सी. एल. गदेपन सेमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्दिष्ट भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ।

अतः पट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार) ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उक्त भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने का अपना आशय घोषणा करता है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपना हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन, सेडला फाटक, कोटा-324001 राजस्थान में दर्ज करा सकता है ।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी व्यवसायिक के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत करना चाहता है ।

अनुसूची

गदेपन—समकोर से गैस पाइप लाइन

ग्राम : हार्यखेड़ा तहसील : हाड़ौती जिला : कोटा (राज.)

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल		वि. वि.
		एयर	वर्ग मी.	
हार्यखेड़ा	185	02	00	
,,	189	06	00	
,,	190	00	70	
,,	191	03	30	
,,	192	17	00	
,,	197	02	70	
,,	201	26	60	
,,	230	19	10	
,,	231	00	60	
,,	233	05	10	
,,	233/345	00	90	
योग : किता	11	84	00	

[सं. O 14016/2/93-जी.पी.]

राजीव मर्रिषि निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 563(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L. Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appear that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Anand Bhawan, Khedil Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GADEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village : Hathikhera Tehsil : Lakpura Dist : Kota Rajsthan

Name of Village	Kh. No	Area		Remarks
		Area	Sq Mtr	
Hathikhera	185	02	00	
	189	06	00	
	190	00	70	
	191	03	30	
	192	17	00	
	197	02	70	
	201	26	60	
	230	19	10	
	231	00	60	
	233	05	10	
	233/345	00	90	
Total	11	84	00	

[No. O-14016|2|93|GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

का. आ. 564 (इ).—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी. एफ. सी. एल. गदेपन से सैमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उक्त कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने का अपना आशय घोषित करती है:

बशर्ते कि उक्त भूमि में कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन, खेडील फाटक, कोटा-324001 राजस्थान में दर्ज कर सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज करते समय हितों को व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिशः सुने जाने की अपेक्षा विधि व्यवसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गढ़ेपान—सामकोर पाइप लाइन

ग्राम : हतुवतखेड़ा तहसील : लाखेरी जिला : कोटा (राज.)

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	
		हेक्टेयर	वर्गमी.
हतुवतखेड़ा	43	30	00
	44	00	80
	45	00	60
	51	07	60
	52	00	60
	53	20	90
	61	01	00
	62	11	00
	63	11	70
	66	08	00
	67	08	80
योग : किता	11	91	00

[सं. O-14016/2/93/जं. पं.]

राजीव महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 564(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L. Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appear that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Anand Bhawan, Khedil Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GADEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village : Hanuvatkhera Tehsil : Ladpura Dist : Kota State : Rajasthan

Name of Village	Khasra No.	Area		Remark
		Are	Sq. Mtr.	
Hanuvatkhera	43	20	00	
	44	00	80	
	45	00	60	
	51	07	60	
	52	00	60	
	53	20	90	
	61	01	00	
	62	11	00	
	63	11	70	
	66	08	00	
	67	08	80	
Total	11	91	00	

[No. O-14016/2/93/GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

का. आ. 565(ई).—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सी. एफ. सी. एल. यढ़ेपन से रोमकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा राज्य, राजस्थान में पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमि के पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आक्षेप सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आनन्द भवन, खेडील फाटक, कोटा-324001 राजस्थान में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करेगा कि वह व्यक्तिशः सुने जाने का अवसर चाहता है अथवा विधिव्यवसायी के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

ढढ़ेपन—रोमकोर गैस पाइप लाइन

ग्राम : वना नोहरा	तहसील : लाडपुरा	जिला : कोटा (राज.)	
नाम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	वि.वि.
		एयर वर्ग मी.	
वना नोहरा	77	00 80	
"	83	10 60	
"	82	09 20	
"	84	22 80	
"	282	03 00	
"	283	12 10	
"	285	08 00	
"	287	01 50	
"	289	02 50	
"	285/304	01 50	
योग : बिता	10	72 00	

[सं. O-14016/2/93 जी. पी.]

राजीव महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 565(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from C.F.C.L. Gadepan to Samcor Glass Ltd., Kota, Rajasthan, Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from ahe date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Anand Bhawan, Khedil Phatak, Kota, Rajasthan.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GADEPAN-SAMCOR GAS PIPELINE

Village - Nayanohra Teh : Ladpura Dist: Kota State Rajasthan

Name of village	Kh. No.	Area		Remarks
		Area	Sq. Mtr.	
Nayanohra	77	00	80	
	82	10	60	
	83	09	20	
	84	22	80	
	282	03	00	
	283	12	10	
	285	08	00	
	287	01	50	
	289	02	50	
	285/304	01	50	
Total	10	72	00	

[No. O-14016/2/93/GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

का. आ. 566(ई).—पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50वां) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम—1 में उल्लिखित प्राधिकारी को उक्त कॉलम-3 की तद्नुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

प्राधिकारी का नाम	पता	क्षेत्रीय अधिकार
1	2	3
वसंत गुंडोजी कामले उप कलक्टर	गैस प्राधिकरण ऑफ इंडिया लि., रूम नं. 107, होटल बिग स्प्लैश अलीबाग, जिला रायगढ़	महाराष्ट्र

[सं. O-14016/2/93 जीपी]

राजीव महर्षि, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1993

S.O. 566(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby authorise the authority mentioned in Column 1 of the schedule below to perform the function of Competent Authority under the said act with in the area mentinned in the corresponding entry in the Column 3 of the said schedule.

SCHEDULE

Name of the Person	Address	Territorial Jurisdiction
1	2	3
Vasant Gundoji Kamle Dy. Collector	Gas Authority of India Ltd., Room No. 107, Hotel BIG Splash Alibag, Distt. Raigarh	Maharashtra

[No. O-14016/2/93-GP]

RAJIV MEHRISHI, Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993